राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–1 (लो0सू0अ0) / 2023–24

श्री बिनोद कुमार, आर टी आई–सह–सामाजिक कार्यकत्ता, ग्राम+पोस्ट–भकुरहर, वाड नं॰–16, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी–843313

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी,राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
03.04.2023	श्री बिनोद कुमार, आर टी आई–सह–सामाजिक कार्यकर्त्ता, ग्राम+पोस्ट–भकुरहर, वाड नं॰–16, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी–843313 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–23.03.2023 इस कार्यालय में दिनांक–28.03.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 330408 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री बिनोद कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–22.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक– 22.12.2022 की छाया–प्रति भी संलग्न है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–22.12.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–21.04.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 3/4/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–1 (लो०सू०अ०) / 2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.04.2023	दिनांक-03.04.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना हेतु दिये गए प्रपत्र 'क' दिनांक-22.12.2022 के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-आर.टी.आई.(स्था)-02/2023-01/रा.स.(III), दिनांक-05.01.2023 के माध्यम से अपने निर्णय संसूचित किया है। विदित हो कि प्रपत्र 'क' के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा दिनांक-03.11.2022 को उनकी पत्नी द्वारा भेजे गये प्रार्थना-पत्र पर कुलाधिपति कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी की माँग की है। उन्होंने अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती सुनिता कुमारी द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र दिनांक-03.11.2022 की छाया-प्रति संलग्न की है। इसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती सुनिता कुमारी द्वारा दिया गया आवेदन-पत्र/प्रार्थना-पत्र दिनांक-03.11.2022 कुलपति, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को संबोधित है तथा निर्धारित समयावधि में मार्कसीट/रिजल्ट उपलब्ध नहीं कराने हेतु क्षतिपूर्ति की माँग की गयी है। उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती सुनिता कुमारी द्वारा आवेदन/प्रार्थना-पत्र कुलपति, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को दी गयी है तथा कृत कार्रवाई की जानकारी कुलाधिपति कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी से की जा रही है। अतः प्राप्त अपील आवेदन पर किसी प्रकार की अग्रत्तर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 21/4/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** –सह– **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	